

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

स0सं0-निग/सारा(निगम) आरोप-24/2026

पटना, दिनांक :- 23/9/26

कार्यालय आदेश - 283

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक-1400 दिनांक-05.06.2026 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर-वरुणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A पर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य निर्माणाधीन है। इसमें रेलवे ऊपरी पुल एवं Viaduct का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात के लिए एक माह पूर्व खोला गया था। विभिन्न Media एवं Social Media के माध्यम से एक Video प्राप्त हुआ है, जिसमें एक Span के एक तरफ Expansion Joint के पास Slab क्षतिग्रस्त दिख रहा है, जो प्रथम दृष्ट्या कार्य में अनियमितता प्रतीत हो रही है। उक्त मामले में निर्माण कार्य से संबंधित अभियंता श्री अखिलेश कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, आरा एवं श्री हरeram राम, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता) तथा श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, आरा को कार्य में शिथिलता बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत अन्य संबंधित अभियंताओं को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश सं0-144 सहपठित ज्ञापांक-3981 (एस) दिनांक-05.06.2026 के द्वारा श्री अजीत कुमार, तदेन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, आरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उक्त के आलोक में श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक-21.09.2026 के द्वारा विभाग को अपील आवेदन समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित अपील आवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-1400 दिनांक-05.06.2026 के द्वारा मुख्य रूप से बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर-वरुणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A एक Span के एक तरफ Expansion Joint के पास Slab क्षतिग्रस्त होने से संबंधित आरोप है। ROB के जिस भाग में क्षतिग्रस्त पाया गया है, उसका निर्माण जनवरी 2025 में हुआ है तथा इस कार्य से संबंधित मापीपुस्त पर कनीय अभियंता के द्वारा दिनांक-15.01.2025 को मापी दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, आलोच्य ROB के Girder (P13 - P14) एवं Deck slab (P13 - P14) का कार्य भी दिसम्बर, 2024 के पूर्व ही कराया जा चुके थे। जबकि विभाग में श्री अजीत कुमार के नियुक्ति फरवरी, 2025 में किये जाने के उपरांत पुल निर्माण निगम के द्वारा अप्रैल, 2025 में श्री कुमार का पदस्थापन कार्य प्रमंडल, आरा में किया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आलोच्य त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए श्री कुमार जिम्मेवार नहीं हैं, क्योंकि जिस समय क्षतिग्रस्त Span का कार्य कराया गया है, उस समय श्री कुमार की नियुक्ति ही नहीं हुई थी।

3. अतएव उपर्युक्त की गयी समीक्षा के आधार पर श्री कुमार के द्वारा विभाग को समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक-21.09.2026 को स्वीकार करते हुए निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

(क) श्री अजीत कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् श्री कुमार अपना योगदान अभियंता प्रमुख (मु0) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में समर्पित करेंगे।

(ग) श्री कुमार के निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन एवं भत्ता के साथ विनियमित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में श्री कुमार को भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राकेश कुमार)

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा(निगम) आरोप-24/2026

प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, पटना/ उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा/अवर सचिव, (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, अभियंता प्रमुख (मु0) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा(निगम) आरोप-24/2026

68425 पटना, दिनांक :- 23/9/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना